01. कैलाश चन्द पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, आयु 51 वर्ष, जाति ब्राहम्ण निवासी शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. बंशीधर पुत्र श्री जानकीलाल जाट,
02. बिमला देवी पत्नी श्री बंशीधर जाट,
03. ओमप्रकाश पुत्र बिरदू जाट,
04. पोखर पुत्र नारायण जाट,
05. रूड़ाराम पुत्र श्री छोटू जाट,
06. हरिशंकर पुत्र छोटू जाट,
07. बनवारी पुत्र श्री रामेश्वर जाट जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
02. नायब तहसीलदार उप तहसील अमरसर जिला जयपुर राजस्थान।
03. ओमकार पुत्र गंगाबक्श जाट वगै.
04. कानाराम पुत्र श्री सूणा जाट वगै.
05. गंगाराम पुत्र सेडूराम जाट वगै.
06. गोदाराम पुत्र देवा जाट वगै.
07. नन्दाराम पुत्र हरसहाय जाट वगै.
08. देवी सहाय पुत्र कजोड़ जाट वगै
09. महावीर पुत्र सूरजाराम जाट वगै.
10. बनवारी पुत्र गणपत जाट,
11. बंशीधर पुत्र जानक्या जाट वगै.
12. बालू पुत्र फता जाट वगै.
13. रामकंवार पुत्र सीताराम जाट वगै.
14. गोपी पुत्र तेजा जाट वगै.
15. घीसा पुत्र नारायण जाट,
16. छीतर पुत्र मुरली जाट,
17. भगवान सहाय पुत्र श्री सोनाराम जाट वगै.
18. नेलाराम पुत्र नाथू जाट,
19. बद्री पुत्र हरदान जाट,
20. बनवारी पुत्र तुलसीराम जाट वगै.
21. बंशी पुत्र महादेव जाट वगै.
22. श्रवण कुमार पुत्र हनुमान जाट वगै.
23. रूड़ाराम पुत्र छोटू जाट वगै.
24. हरसहाय पुत्र सुगला जाट वगै.
25. कमलेश पुत्र नानू जाट,
26. कैलाश पुत्र गोपी जाट,

P.T.O.

27. कालूराम पुत्र ईश्वर जाट,
28. श्रवणी देवी पत्नी पप्पू जाट,
29. रूड़ाराम पुत्र नारायण जाट,
30. जीवणराम पुत्र गोविन्दा जाट,
31. मुकेश पुत्र श्री जवाहरलाल जाट,
32. रामलाल पुत्र सुवालाल जाट वगै.
33. श्रवण पुत्र भगवान सहाय जाट वगै.
34. हंसाराम पुत्र पोखर जाट वगै. जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
35. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश ब्राहम्ण वगै.
36. देवराज पुत्र प्रभात ब्राहम्ण वगै.
37. कानाराम पुत्र भूरा ब्राहम्ण वगै.
38. नन्दालाल पुत्र श्योनाथ ब्राहम्ण,
39. श्रवण कुमार पुत्र मु. प्रहलाद ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण निवासी शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

——तरतीबी प्रत्यर्थीगण

उपस्थितिः–

1. **श्री सुरेश यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बंशीधर जाट एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 30.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस कानूनी बिन्दु पर कतई कोई गौर नही किया कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाता है तो पड़ौसी खातेदारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती है परन्तु इसके सम्बन्ध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पड़ौसी काश्तकारों के सामने हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया वह विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार शाहपुरा से ना तो अपीलाधीन भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई और ना ही पड़ौसी खातेदारों के बारे में जानकारी चाही गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक था परन्तु इन सभी तथ्यों को अनेदखा करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 10.06.2020 व 25.10.2021 की सीमाज्ञान की कोई जानकारी अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में नही थी और ना ही कोई सूचना अपीलार्थी को दी गई थी, मौका स्थिति के विपरित बिना पुख्ता निशानात कायम किये सीमाज्ञान किया गया जबकि बिना पुख्ता निशानात किये सीमाज्ञान नही किया जा सकता, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2021 को सीमांकन करने हेतु आदेश प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय उप तहसीलदार अमरसर द्वारा दिनांक 23.11.2021 को पटवारी हल्का जगतपुरा जयपुर को लिखा कि नियमानुसार जॉच करके सीमाज्ञान हेतु रिपोर्ट पेश करें जिस पर दिनांक 23.11.2021 को पटवारी हल्का जगतपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मौके पर फसल है, फसल कटने के बाद सीमाज्ञान किया जाना उचित है, इस प्रकार एकरतफ तो खड़ी फसल होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना उचित नही मान रहे है दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय ने खड़ी फसल होने के बावजूद उस पर सीमाज्ञान करवाने के अपीलाधीन आदेश पारित कियो जो विधि विरूद्ध होने से कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अन्त में यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में उन्हे कोई आपत्ति नही है परन्तु अपीलाधीन आदेश की पालना के साथ–साथ अपीलार्थी की आराजी का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.08 हैक्टयर वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2020 व 25.10.2021 को मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जा चुका है तथा मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी व फसल की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थगरढ़ी करवाने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है तथा अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की आराजी की पत्थरगढी के अपीाधीन आदेश पारित किया गये है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी भी यदि अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहे तो नियमानुसार सीमाज्ञान कराने के आदेश भी दिये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भी अपनी आराजी के सीमाज्ञान के लिये नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर एवं राजकीय शुल्क इत्यादि जमा करवाकर भी अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार शाहपुरा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अपीलार्थी द्वारा अपनी आराजी के सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार आवेदन व राजकीय शुल्क जमा करवाया जाता है तो अपीलार्थी की आराजी का भी नियमानुसार पैमाईश/सीमाज्ञान किया जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 30/11/22
जयपुर।